तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प मण्डावरा में पेश हुई। पैरोकार सरकार को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। पैरोकार सरकार नें कथन किये कि वादी द्वारा ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 739 की 0.20 हे0 भूमि पर गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जानें बाबत् दावा प्रस्तुत किया है। साथ ही कथन किये कि वादी द्वारा मात्र जमाबंदी की प्रतिलिपि के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा आवंटन आदेश की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं करवाई है, ना ही इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वादी को आवंटन किस दिनांक को हुआ तथा वादी द्वारा उक्त आवंटित भूमि की सम्पूर्ण राशि जमा करवाई है या नहीं उस बाबत् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रथम बार गैरखातेदार दर्ज होनें के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त करनें हेतु आवंटन पत्रावली में चाराजोही करें। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा पैरोकार सरकार द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया। विवादित आराजी वर्तमान में गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जानें हेतु नियमानुसार तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। न्यायालय से ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार की रिलीफ दिया जाना उचित नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88–89 के अन्तर्गत रिलीफ प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं पाया जाता है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय मजमें आम मे सुनाया गया। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मण्डावरा

उनवान

महावीर प्रसाद पुत्र कालूलाल जाति धोबी निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 16/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner